भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3534
उत्तर देने की तारीख-10/08/2026

विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं पर राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन

3534. **श्री इमरान मसूदः**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनवरी से जून, 2026 की अवधि के दौरान स्कूलों, कॉलेजों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या की घटनाओं पर कोई राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन आयोजित किया है;
(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और संस्था-वार ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है, इसके मुख्य कारण क्या हैं तथा प्रभावित छात्रों को प्रदान की गई मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहायता का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने अकादमिक तनाव, रैगिंग, मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने और परामर्श सेवाओं को मजबूत करने के लिए कोई राष्ट्रीय कार्ययोजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का सभी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता और 24x7 सहायता प्रणाली प्रदान करने का प्रस्ताव है; और
(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ) राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) पुलिस द्वारा दर्ज आत्महत्या के मामलों से आत्महत्या संबंधी डेटा एकत्र करता है। देश में आकस्मिक मौतों और आत्महत्याओं से संबंधित डेटा का व्यापक विश्लेषण राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा भारत में वार्षिक आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई) संबंधी रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाता है। छात्र द्वारा आत्महत्याओं का वर्ष-वार, राज्य-वार, लिंग और आयु समूह-वार ब्यौरा एडीएसआई रिपोर्ट में उपलब्ध है जो **https://ncrb.gov.in/accidental-deaths-suicides-in-india-year-wise.html** पर देखा जा सकता है।

इन रिपोर्टों के अनुसार आत्महत्या के विभिन्न कारण जैसे पेशेवर/करियर संबंधी समस्याएं, अलगाव की भावना, दुर्व्यवहार, हिंसा, पारिवारिक समस्याएं, मानसिक विकार, शराब की लत, वित्तीय हानि, दीर्घकालिक पीड़ा आदि हैं।

आत्महत्या के मामले का समाधान करने के लिए, सरकार अनेक उपाय कर रही है और आत्महत्या की घटनाओं से बचने के लिए मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करती है।

शिक्षा मंत्रालय की एक पहल, मनोदर्पण के तहत, मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने हेतु गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया है जैसे कि प्रशिक्षित परामर्शदाता के माध्यम से कॉल करने वालों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन; सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों आदि के छात्रों सहित सभी हितधारकों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित रूप से लाइव इंटरैक्टिव सत्र 'सहयोग' और वेबिनार 'परिचर्चा' आयोजित किए जाते हैं। इन सत्रों को पीएम ई-विद्या चैनलों पर प्रसारित किया जाता है और ये 'एनसीईआरटी आधिकारिक' यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हैं।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अपने संबद्धता संबंधी उपनियमों में अपने संबद्ध प्रत्येक माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में परामर्शदाता और स्वास्थ्य/ कल्याण शिक्षक की नियुक्ति को अनिवार्य कर दिया है। नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) में, प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) में अनुबंध के आधार पर दो परामर्शदाताओं (एक पुरुष और एक महिला) की नियुक्ति का प्रावधान है और फरवरी, 2026 तक देश भर के जवाहर नवोदय विद्यालयों में कुल 830 परामर्शदाताओं को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, सभी केन्द्रीय विद्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे फिलहाल अनुबंध के आधार पर सभी स्कूलों में परामर्शदाताओं की नियुक्ति करें।

यूजीसी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम कार्यनीति को परिचालित करते हुए जनवरी, 2023 में उच्चतर शिक्षा संस्थाओ को परामर्श जारी किया है। यूजीसी ने दिनांक 13.04.2023 को छात्रों के लिए शारीरिक फिटनेस और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रावधान किया है; छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर अकादमिक दबाव, सहकर्मी दबाव, व्यवहार संबंधी मामलों, तनाव, कैरियर संबंधी चिंताओं, अवसाद और अन्य मामलों के लिए सुरक्षा उपाय करना; छात्र समुदाय में सकारात्मक सोच और भावनाओं को सिखाने के लिए; और छात्रों हेतु एक सकारात्मक और सहायक नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।

यूजीसी ने अपने सभी आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों जैसे- एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और यूट्यूब सहित एक व्यापक एंटी-रैगिंग जागरुकता अभियान शुरू किया है। इन अभियानों में छोटी वीडियो, बैनर और अन्य क्रिएटिव शामिल हैं, जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने और उनसे जुड़ने के लिए 21 भाषाओं में जारी किया गया है।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में रैगिंग की समस्या को रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2009 के अनुसार कार्रवाई की है। रैगिंग-

रोधी उपाय जैसे 24x7 राष्ट्रीय रैगिंग-रोधी हेल्पलाइन की स्थापना, रैगिंग-रोधी कार्यशालाएं और सेमिनार, संस्थाओं की विवरणिकाओं में रैगिंग के गंभीर परिणामों को अनिवार्य रूप से शामिल करना, प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में छात्रों और अभिभावकों द्वारा अनिवार्य ऑनलाइन उपक्रम करना, संस्थाओं में प्रमुख स्थानों पर रैगिंग रोधी पोस्टर लगाना आदि शामिल किए गए हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने जुलाई, 2023 में उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में छात्रों के भावनात्मक और मानसिक कल्याण संबंधी एक रूपरेखा दिशानिर्देश जारी किया है, जिसमें संस्थागत कामकाज में इसे शामिल करने और छात्र समुदाय में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने हेतु सक्रिय उपाय करने का अनुरोध किया गया है। दिशानिर्देशों में परामर्शी सेवाओं, संकट की प्रारंभिक पहचान, आत्महत्या की रोकथाम एसओपी, छात्र सहायता नेटवर्क, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और निरंतर प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर संस्थागत समीक्षा पर जोर दिया गया है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोचिंग सेंटरों के विनियमन के लिए दिशानिर्देश (जनवरी 2024) जारी किए गए हैं, जो छात्रों की सहायता और सुरक्षा उपायों जैसे परामर्शी सुविधाओं, पारदर्शी शुल्क संरचनाओं, बैच अलगाव पर रोक और शैक्षणिक दबाव को तेज करने वाली पध्दतियों के विरूद्ध सुरक्षा उपायों को अनिवार्य करता है - परिसरों के बाहर भी छात्रों की मानसिक कल्याण सुरक्षा का विस्तार करता है।

मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य, लोचशीलता और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। इस एकीकृत दृष्टिकोण के तहत, उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के संकाय के साथ दो पाक्षिक सत्र आयोजित किए जा रहे हैं ताकि उन्हें शीघ्र निदान के लिए छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने हेतु सशक्त बनाया जा सके। नवंबर, 2024 में आईआईटी हैदराबाद में और नवंबर, 2025 में आईआईटी बॉम्बे में वार्षिक राष्ट्रीय कल्याण सम्मेलन आयोजित किए गए थे। आईआईटी मद्रास में दिनांक 12-13 जुलाई 2026 को मानसिक स्वास्थ्य पर एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वोत्तम पध्दतियों को साझा करने और परिसर में कल्याण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु संस्थागत नेताओं, शिक्षकों, छात्रों और मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को एक साथ लाया गया।

संस्थागत स्तर पर, कई उच्चतर शिक्षण संस्थान सक्रिय, बहुस्तरीय मॉडल के माध्यम से रूपरेखा को कार्यान्वित कर रहे हैं। हैं। उदाहरण के लिए, आईआईटी खड़गपुर ने अनुक्रियात्मक देखभाल से निवारक, अनवरत सहयोग की ओर बढ़ते हुए एक व्यापक सेतु (सहयोग, सहानुभूति, परिवर्तन और उत्थान) रूपरेखा को कार्यान्वित किया है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी रुड़की ने मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, मानसिक कल्याण और तनाव प्रबंधन पर कार्यशालाएं आयोजित की हैं।

सभी आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और आईआईआईटी ने अपने परिसरों के भीतर पूर्णकालिक या अतिथि पेशेवर परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और कुछ मामलों में मनोचिकित्सकों के साथ विशिष्ट मानसिक स्वास्थ्य या परामर्श केंद्र स्थापित किए हैं। कई संस्थान अक्सर जागरूकता बढ़ाने, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गलत धारणाओं को कम करने और छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं। इन सत्रों में तनाव प्रबंधन, मुश्किल हालात से निपटने के तरीके और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लक्षणों को पहचानने जैसे विषय शामिल होते हैं। कुछ संस्थान परिसर के अंदर या बाहर परामर्श सेवाओं की सुविधा भी देते हैं, जहाँ छात्र मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से मिल सकते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य के मामले का समाधान करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तर पर गंभीर मानसिक विकारों, नशीले पदार्थों, पहुंच सेवाओं, एम्बुलेंस सेवाओं आदि से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए बाह्य रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श / मनो-सामाजिक मध्यवर्तनों, निरंतर देखभाल और सहायता शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तरोन्नत पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए भी कदम उठा रही है। सरकार ने 1.81 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्तरो किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं जोड़ी गई हैं।

देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए वर्ष 2022 में एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। दिनांक 06.08.2026 तक की स्थिति के अनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेट्स (एमएएनएएस) प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 4325000 से अधिक कॉल का उत्तर दिया गया हैं। सरकार ने टेली मानस मोबाइल एप्लिकेशन भी शूरू किया है, जो एक व्यापक मोबाइल मंच है जिसे कल्याण से लेकर मानसिक विकारों तक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मामलों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा, मौजूदा ऑडियो कॉलिंग सेवा के स्तरोन्नयन के रूप में टेली-मानस के तहत एक वीडियो परामर्श सुविधा शुरू की गई है।
